ग्राम पंचायत संसाल, विकास खंड बैजनाथ , जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का

अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक -07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत संसाल विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/ सचिव कार्यरत थे ।

प्रधानः-

क्रंम संख्या	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1	श्री रघुवीर सिंह	01/04/15 से 31/03/16
2	श्रीमति आशा देवी	01/04/16 से 31/03/18

सचिवः-

क्रम संख्या	**सचिव का नाम**	**अवधि**
1	श्री मान सिंह	1/4/2015 से 31/3/2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत संसाल जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	5	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातो के अन्तशेष मे अन्तर	0.27
2	8	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.05
3	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	13.96
4	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	8.54

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत संसाल विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मोहिन्द्र कुमार (सहायक नियंत्रक) तथा श्री शिव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03-12-18 से 07-12-18 तक ग्राम पंचायत संसाल के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं ब्यय के लिये क्रमश: 07/2015 ,03/2017,03/2018 व 12/2015, 03/2017, 02/2018 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत संसाल विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹7200 बनता है उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को शीघ्र अतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-259 दिनांक-05-12-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत संसाल से अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत संसाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

स्व-स्त्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत संसाल के अवधि 04/15 से 03/18 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट(क)** में भी दिया गया है

1॰ स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)

2015-16	19480	58015	77495	52558	24937
2016-17	24937	64067	89004	32493	56511
2017-18	56511	96535	153046	19432	133614

2॰ अनुदान

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹)**
2015-16	403174	5932297	6335471	5501666	833805
2016-17	833805	4055654	4889459	3378444	1511015
2017-18	1511015	7894840	9405855	8010060	1395795

कुल योग(1+2) =133614+1395795 = 1529409

3॰ दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत संसाल द्वारा बैंक में जमा राशि का विवरण :-

क्रम सं0	**खाता संख्या**	**वैंक का नाम**	**राशि (₹)**
1	16004929	के.सी.सी.	1330219.98
2	1005750	के.सी.सी.	171261.50
3	126287	हिमाचल ग्रामीण बैंक	841.40
		हस्तगत राशि	188.00
		कुल योग	**₹1502510.88**

अन्तर (**₹1529409- ₹1502511) =₹26898**

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्त शेष में ₹0.27 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत संसाल द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाक 31-03-18 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹26898 (₹1529409-₹1502510.88) का अन्तर (बैंक पास बुक में कम शेष) पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है I अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे

तथा इस अन्तर का अति शीघ्र मिलान किया जाये व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रतिमाह बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए I

6 रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव न करनाः–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त अन्त शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत संसाल में रोकड बही के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नही की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7. वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय व एक ब्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत संसाल द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा ब्यय के आंकडों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ में आय ब्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.05 लाख वसूली हेतु शेष

पंचायत की स्व-स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बंधित अभिलेख के अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए जाने पर पाया गया कि निम्न विवरणनुसार दिनांक 31-03-18 तक पंचायत राजस्व ₹4940 (3815+1125) की वसूली शेष थी I

8.1 गृहकर

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत संसाल की गृहकर की बकाया राशि निम्न विवरणानुसार ₹3815 दिनांक 31-03-18 तक वसूली हेतु शेष थी I जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में भी दिया गया है:-

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**माँग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2015-16	2000	9500	11500	11460	40
2016-17	40	11400	11440	11265	175
2017-18	175	15200	15375	11560	3815

अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिशिचित की जाये I

8.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना: –

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत संसाल द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क नही वसूला जा रहा है इसके फलस्वरूप पंचायत को राजस्व कि हानि हुई है अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत द्वारा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये तथा पंचायत निधि में ज़मा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अवगत करवाया जाये I माह 04/2015 से 11/2017 तक पंजीकृत विवाह संख्या एवम कुल राशि जो नहीं वसूली गई का ब्यौरा निम्न प्रकार से है: –

वर्ष	**विवाह पंजीकरण रजिस्टर पृ0 स0**	**पंजीकृत विवाह**	**दर (₹)**	**वसूली योग्य राशि (₹)**
2015-16	49-55	20	5	100
2016-17	28-29	05	5	25
	30-32	05	200	1000
			कुल योग	**1125**

9 अनुदान राशि ₹13.96 लाख का अवरोधन

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट (क) (i & ii)** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–18 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से **₹1395795** की राशि उपयोग हेतु थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी

वंचित होना पडा है अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के ब्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को ब्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 भू-राजस्व की वसूली नहीं करना:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/15 से 03/18 तक भू-राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इस की वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अत: नियमानुसार भू-राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इस की वसूली प्रतिबर्ष करना सुनिश्चित करें।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹8.54 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं। चयनित मास के ब्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "ग"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹854183 के स्टाक का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना किया गया था जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। सचिव ग्राम पंचायत संसाल को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 261 दिनांक 6.12.2018 द्वारा उक्त अनियमितता बारे अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अतः स्टाक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टाक/स्टोर का स्टाक रजिस्टर भी आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

12 निर्माण कार्यों से संबन्धित प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को उपलब्ध न करवाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जांच में चयनित माह के निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिका संख्या 9135 अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। प्राकलन व माप पुस्तिका के अभाव में कार्य की मात्रा, भुगतान की दर व भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत संसाल को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 261 दिनांक 6.12.2018 द्वारा अवगत करवाया , परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी उतर नहीं दिया गया। अत: संबन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर

2 जल प्रभार रजिस्टर

3 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर

4 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर

5 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

6 डाक टिकट रजिस्टर

7 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि।

8 अग्रिम रजिस्टर

9 मनरेगा का रेत व बजरी रजिस्टर

14 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविध अनियमितताये

15.1 ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही हैI

15.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमनुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही ही है I

16 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है I

17 **निष्कर्ष:-**

लेखों के रख रखाव में हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है । यह बात पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस संदर्भ मे संबन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएँ ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)221/2019 खण्ड–1–804–807 दिनांक 11.02.19 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत संसाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881